

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 53 / 2024 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

मुथुट हॉम फिन (इण्डिया) लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय - 1201 एवं 1202, 12th फ्लोर, लॉटस कॉरपोरेट पार्क, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, गोरेगांव पूर्व, मुम्बई-400063, शाखा कार्यालय - पांचवा तल, सांघी उपासना टॉवर, सुभाष मार्ग, सी-स्कीम जयपुर, जरिये प्राधिकृत अधिकारी विकास सिंह राठौड़

-प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. राजवीर सिंह राठौड़ पुत्र समुन्दर सिंह राठौड़, पता-बिराणिया, फतेहपुर, सीकर, राजस्थान-332301
2. गोपाल कंवर राठौड़ पत्नि समुन्दर सिंह राठौड़, पता-बिराणिया, फतेहपुर, सीकर, राजस्थान-332301
3. समुन्दर सिंह राठौड़ पुत्र बच्चन सिंह राठौड़, पता-बिराणिया, फतेहपुर, सीकर, राजस्थान-332301

-अप्रार्थीगण

(ऋणी / सहऋणी / बंधककर्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

दिनांक: 14.10.24.....

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री राहुल पारीक द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः राजवीर सिंह राठौड़ पुत्र समुन्दर सिंह राठौड़, गोपाल कंवर राठौड़ पत्नि समुन्दर सिंह राठौड़ एवं समुन्दर सिंह राठौड़ पुत्र बच्चन सिंह राठौड़ की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी समुन्दर सिंह राठौड़ पुत्र बच्चन सिंह राठौड़ के स्वामित्व की




मुकुल शर्मा
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

बंधक सम्पत्ति आवासीय पट्टा संख्या 4, ग्राम पंचायत बिराणिया, पंचायत समिति फतेहपुर, जिला सीकर, राजस्थान में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 164.66 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में खाली जगह व रास्ता, पश्चिम दिशा में श्रवण सिंह, उत्तर दिशा में अर्जुन सिंह व भंवर सिंह आदि एवं दक्षिण दिशा में नारायण सिंह है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर कुल 10,29,694/- रुपये (अक्षरे रूपये दस लाख उनतीस हजार छः सौ चौरानवे) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 20.03.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 30.03.2024 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की एवं समाचार पत्र में प्रकाशन प्रार्थी की फोटो प्रति वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः राजवीर सिंह राठौड़ पुत्र समुन्दर सिंह राठौड़, गोपाल कंवर राठौड़ पत्नि समुन्दर सिंह राठौड़ एवं समुन्दर सिंह राठौड़ पुत्र बच्चन सिंह राठौड़ की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी समुन्दर सिंह राठौड़ पुत्र बच्चन सिंह राठौड़ के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति आवासीय



पट्टा संख्या 4, ग्राम पंचायत बिराणिया, पंचायत समिति फतेहपुर, जिला सीकर, राजस्थान में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 164.66 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में खाली जगह व रास्ता, पश्चिम दिशा में श्रवण सिंह, उत्तर दिशा में अर्जुन सिंह व भंवर सिंह आदि एवं दक्षिण दिशा में नारायण सिंह है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक 14.10.24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
मुकुल शर्मा
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर